

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड



(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

सं.: /अधिनियम(वित्त)/ निधि- ।।/ मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017

दिनांक: 28 दिसंबर, 2020

प्रबन्ध निदेशक,

वि० वि० नि० लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल एवं केस्को,  
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय:- मीटर आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान की व्यवस्था/प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक उम्प्र० पावर कारपोरेशन लिं० के पत्र संख्या-789/अधिनियम/निधि- ।।/ मीटर के दायित्वों का भुगतान /330/2017 दिनांक 30.06.2020 एवं सप्तित पत्र संख्या- 889/अधिनियम/निधि- ।।/ मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017 दिनांक 20.07.2020 संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा वितरण निगमोन्तर्गत मीटर आपूर्तिकर्ताओं एवं अनमीटर्ड से मीटर्ड के मद की लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं से मीटर स्थापित किये जाने, खराब मीटर को बदलने एवं निवेश मित्र एवं झटपट संयोजन पोर्टल के माध्यम से स्थापित होने वाले विद्युत संयोजनों हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि में सम्मिलित घटकों (Component) अन्तर्गत विभिन्न मदों का विवरण रखे जाने तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ निर्धारित कर उक्त के अनुपालनार्थ सम्प्रेषित की गयी थी।

उपरोक्त के विषय में अग्रेत्तर यह निर्धारित किया गया है कि वितरण निगमों द्वारा सन्दर्भित मदों/कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि में से सिक्योरिटी मनी, केबिल कॉस्ट, लाइन चार्ज, जी०एस०टी० एवं अन्य सुस्पष्ट रूप से चिह्नित मद में प्राप्त हो रही धनराशि को छोड़कर अन्य मदों में प्राप्त हो रही सम्पूर्ण अवशेष धनराशि का उपयोग डिस्कॉम द्वारा मीटर आपूर्तिकर्ताओं एवं अनमीटर्ड से मीटर्ड मद की देयताओं के भुगतान मद में करते हुए उक्त की प्रगति से कारपोरेशन को अवगत कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा जारी अन्य समस्त व्यवस्थाएँ पूर्ववत् ही रहेंगी।

भवदीय,

(सुधीर आर्य)

निदेशक (वित्त)

सं०१४५५ /अधिनियम(वित्त)/ निधि- ।।/ मीटर के दायित्वों का भुगतान/330/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उम्प्र० पावर कारपोरेशन लिं०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उम्प्र० पावर कारपोरेशन लिं०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य)/(वितरण), उम्प्र० पावर कारपोरेशन लिं०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य), वि० वि० नि० लि० मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/  
आगरा एवं निदेशक (वाणिज्य)/उप महाप्रबन्धक (वित्त), केस्को, कानपुर।
5.  अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन) कक्ष संख्या- 407, उम्प्र० पाकालिं०, शक्ति भवन विस्तार,  
लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट अन्तर्गत ई-बुक (मीटर आपूर्ति के भुगतान सम्बन्धी) पर अपलोड किये जाने हेतु।

(सुधीर आर्य)  
निदेशक (वित्त)